अध्याय -IV

मिल मालिकों का चयन तथा मिलों का मंडियों से संयोजन

धान की खरीद की प्रक्रिया के भाग के रूप में मिलों की मंडियों से दूरी (सामान्यत: मंडी से आठ किलोमीटर के अंदर), चावल मिल की मिलिंग क्षमता और पूर्व के वर्षों में चावल की समय पर सुपुर्दगी जैसे मानदंड को ध्यान में रखते हुए जिला मिलिंग समिति (डीएमसी)[77] द्वारा प्रत्येक वर्ष चावल मिलों का चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया मिलों की टैगिंग कहलाती है। चूँकि आठ किमी तक परिवहन प्रभार मिलिंग प्रभारों में शामिल होते हैं, इसलिए व्यय को कम करने के लिए मंडी/भंडारण से आठ किमी के अंदर स्थित मिलों के साथ अधिकतम मिल टैगिंग की जानी चाहिए।

एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान को विशेषत: मुख्य/स्थायी/भंडारण मिलिंग केंद्रों पर सभी अर्हक चावल मिलों के बीच उनकी मिलिंग क्षमता के आधार पर मिलिंग के लिए बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाता है जिसे संबंधित राज्य की कस्टम मिलिंग नीति के प्रावधानों के अनुसार जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

मिल मालिकों के चयन में देखी गई कुछ कमियाँ का विवरण निम्नलिखित प्रकार है-

4.1 मंडियों का चावल मिलों से गलत संयोजन

4.1.1 चावल मिलों के साथ धान क्रय केंद्रों का अविवेकपूर्ण संयोजन

विभिन्न राज्यों में कस्टम मिलिंग नीतियों के अनुसार, मिलिंग/भण्डारण केंद्रों, जहाँ धान का भंडारण/मिलिंग किया जाना हो उसकी मिलिंग क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए क्रय केंद्र/*मंडियाँ,* नजदीकी मिलिंग केंद्र/भण्डारण केंद्र से जुड़ी होनी चाहिए। सभी क्रय एजेंसियों को प्रस्तावित क्रय केंद्रों/*मंडियों* को भण्डारण बिन्दुओं/मिलिंग केंद्रों के संयोजन की इस प्रकार से आवश्यक व्यवस्थायें करनी चाहिए ताकि परिवहन पर कम से कम व्यय हो।

---

[77] जिला मिलिंग समिति में संबंधित जिले के उपायुक्त, अध्यक्ष तथा खाद्य एवं आपूर्ति निगम के निदेशक सदस्य सचिव होते हैं। एफसीआई और दो नामित चावल मिल मालिकों के साथ क्रय एजेंसियो के जिला प्रधान इसके सदस्य होते हैं।

हालांकि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और एफसीआई बिहार क्षेत्र में यह देखा गया कि क्रय केंद्र/*मंडियों* से जुड़े चावल मिलों की दूरी आठ किमी से अधिक थी जिसके कारण एसजीएज़/एफसीआई के मामले में ₹ 407.33 करोड़[78] का परिहार्य परिवहन व्यय हुआ।

पंजाब की राज्य सरकार और एसजीएज़ ने बताया (फरवरी 2015) कि भारत सरकार द्वारा मामलों के निपटान में देरी के कारण ऐसा हुआ। आगे यह भी बताया कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, परिवहन प्रभारों की क्षतिपूर्ति का दावा संशोधित जाँचसूची के अनुसार प्रस्तुत किया गया था और संभवत: भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिलों को मंडियों से जोड़ने से पूर्व आठ किमी की दूरी की सीमा अच्छी तरह से ज्ञात थी। इस प्रकार मिलिंग के लिए आठ किमी से दूर धान के परिवहन का औचित्य नहीं था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मण्डी मिलों की टैगिंग आठ कि.मी. से आगे नहीं हो सकती। तथापि, न्यूनतम लागत सिद्धांत का पालन करना होगा।

उत्तर में आठ कि.मी. से आगे मिल के चयन के लिये उचित तर्क का अभाव है और ऐसे चयन के संतोषजनक औचित्य अभिलेखों में नहीं पाये गये थे। इस प्रकार, उन चावल मिलों को अविवेक पूर्ण से लगाना जो अधिक दूरी पर थी, तथा जिनके लिये यातायात लागत पहले ही मिल प्रभारों में शामिल की गई थी, के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार राज्यों में एफसीआई/एसजीएज़ द्वारा धान/चावल के यातायात के कारण ₹ 407.33 करोड़ का काफी अधिक परिहार्य व्यय हुआ।

4.1.2 पंजाब में धान के परिवहन पर ₹ 163.72 करोड़ का अनुचित व्यय

क) केएमएस 2009-10 से 2013-14 के लिए केंद्रीय पूल हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीएमआर की अस्थायी लागत शीट के अनुसार, मिलों से/मिलों तक धान व चावल के परिवहन हेतु आठ किमी की दूरी के भीतर के परिवहन प्रभार, मिलिंग प्रभारों में पहले से शामिल थे। हालांकि पंजाब के चार जिलों[79] द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना से यह देखा गया कि केएमएस 2009-10 से 2013-14 के दौरान एसजीएज़ ने क्रय केंद्र/मंडियों से मिलिंग केंद्रों/भंडारण केंद्रों तक धान के परिवहन पर ₹ 163.72 करोड़ का व्यय किया, जबकि ये आठ किमी की दूरी के भीतर थी। संयोगवश पड़ोसी राज्य हरियाणा में आठ किमी के भीतर धान के परिवहन प्रभार मिल मालिकों द्वारा स्वयं वहन किए जा रहे थे। इस प्रकार एसजीएज़ द्वारा आठ किमी की दूरी के भीतर धान के परिवहन पर व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 163.72

---

[78] एसजीए- उत्तर प्रदेश क्षेत्र - ₹ 6.78 करोड़, छत्तीसगढ़ क्षेत्र - ₹ 248.15 करोड़, पंजाब - ₹ 152.28 करोड़, बिहार क्षेत्र - ₹ 0.12 करोड़

[79] संगरूर, पटियाला, लुधियाना और मोंगा

करोड़ के परिवहन प्रभारों का परिहार्य भुगतान तथा इस राशि का मिल मालिकों को अनुचित लाभ दिया गया।

राज्य सरकार और एसजीएज़ ने बताया (फरवरी 2015) कि यह मिलिंग लागत का भाग था और इसके कार्यान्वयन में संचालनात्मक कठिनाइयों के बारे में बताया। यह भी संज्ञान में लाया गया कि समीक्षा के लिए मामले को दुबारा भारत सरकार को भेजा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार आठ किमी तक परिवहन प्रभार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग प्रभारों में शामिल है तथा अलग से देय नही है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि एफसीआई ने केएमएस 2009-10 से 2013-14 के लिये पंजाब में एसजीएज़ द्वारा धान के यातायात के लिये आठ कि.मी. तक यातायात प्रभार नहीं दिया क्योंकि वो देय नहीं था।

अत:, पंजाब में ऐसे मिल मालिक जिनको आठ किमी के भीतर जोड़ा गया था और वे परिवहन प्रभारों के लिए अर्हक नहीं थे, (क्योंकि इसे मिलिंग प्रभारों में शामिल किया गया था) फिर भी आठ किमी के भीतर जुड़ी मिलों के लिए एसजीएज़ द्वारा धान के परिवहन पर ₹ 163.72 करोड़ का व्यय किया गया था। फलस्वरूप उसी सीमा तक चावल मिलमालिकों को अनुचित लाभ मिला।

4.1.3 परिवहन प्रभारों के गलत निर्धारण के कारण ₹ 44.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

मंडियों से भंडारण बिन्दुओं तक धान के परिवहन हेतु प्रत्येक जिले में प्रत्येक एजेंसी के लिए मंडी परिवहन ठेकेदार (एमटीसी) नियुक्त किए जाते हैं। एक समिति द्वारा आबंटन किया जाता है जिसमें सभी एसजीएज़ के सभी जिला प्रधान और संबंधित जिले के उपायुक्त के प्रतिनिधि होते हैं। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति और पदेन विशेष सचिव, पंजाब सरकार ने जोर दिया था (जुलाई 1998) कि परिवहन दरें तय करते समय समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समान दूरी के लिए समान दरें तय की जांए।

हालांकि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मंडियों से भंडारण बिन्दुओं तक परिवहन हेतु निविदा पिछले वर्ष के दरों से कुछ अस्थायी प्रतिशतता वृद्धि अनुमत करते हुए आबंटित किए गए थे। इसके अलावा, दूरी को ध्यान में रखे बिना प्रति क्विंटल के आधार पर दरें तय की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 44.27 करोड़[80] का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य में

---

[80] *जिला कार्यालय - संगरूर - ₹ 8.58 करोड़, मोगा - ₹ 8.89 करोड़, पटियाला - ₹ 1.73 करोड़, लुधियाना - ₹ 25.07 करोड़*

परिवाहकों को प्रति क्विंटल प्रति किमी दर अनुमत करते हुए मंडी से भंडारण बिन्दु तक खाद्य अनाजों के परिवहन हेतु 'दर अनुसूचियों' के आधार पर तय किए गए थे जिससे ऐसे अतिरिक्त व्यय के जोखिम को कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि मंडी यातायात ठेकों को अंतिम रूप देते समय मुख्य कारक के रूप में दूरी को शामिल करने के लिये पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

सिफारिश सं. 11	**मंत्रालय का उत्तर**
राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि पहले आठ किमी तक की दूरी वाले सभी मिलों को जोड़ा जाए और उसके बाद केवल मिलिंग क्षमता और मिल की जाने वाली धान की मात्रा को ध्यान में रखकर ही इससे अधिक दूरी पर स्थित मिलों को जोड़ा जाए।	सिफारिश स्वीकृत है।

4.1.4 ओड़िसा में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 32.23 करोड़ के अतिरिक्त परिवहन प्रभारों का भुगतान।

ओड़िसा में समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मिलिंग प्रभार कच्चे चावल के लिए ₹ 10 प्रति क्विंटल और उबले चावल के लिए ₹ 20 प्रति क्विंटल अनुमत किया गया था जिसमें परिवहन प्रभार शामिल नहीं थे। परिवहन प्रभार क्रमश: धान के लिए मंडी/खरीद केंद्र से मिलों तक और चावल के लिए मिल से भंडारण बिंदु तक 0-8 कि.मी. की दूरी के लिए ₹ पांच प्रति क्विंटल की दर पर निर्धारित किया गया था। इस प्रकार केएमएस 2009-10 से 2013-14 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 15 और ₹ 25 प्रति क्विंटल के मिलिंग प्रभारों में आठ किमी तक परिवहन प्रभार भी शामिल थे।

हालांकि, ओड़िसा राज्य सिविल आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) के जिला प्रबंधक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केएमस 2009-10 से 2011-12 के लिए परिवहन प्रभार 0-10 किमी के लिए मिल मालिकों को ₹ सात प्रति क्विंटल और केएमएस 2012-13 और 2013-14 के लिए ₹ 12.50 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा आठ किमी तक (₹ पांच प्रति क्विंटल) के लिए निर्धारित मानक से अधिक परिवहन प्रभारों के भुगतान से 2009-10 से 2013-14 के दौरान मिल मालिकों को ₹ 32.23 करोड़ तक का अनुचित लाभ दिया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक से अधिक दर पर परिवहन प्रभार तय करने का कोई कारण ओएससीएससी के निगम कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में दर्ज नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि ओडिशा में केएमएस 2010-11 से मिल प्रभार में आठ कि.मी. तक यातायात लागत शामिल नहीं होती।

उत्तर स्पष्ट नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा निष्कर्ष लागत शीट में प्रदत्त दर जहां मिल प्रभारों में यातायात प्रभार शामिल हैं और भुगतान किये गये जहां यातायात प्रभार मिल प्रभारों से अलग कर दिये गये हैं, में अंतर दर्शाता है। जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

4.2 हरियाणा में धान के आबंटन में अनियमितायें

मिलिंग समिति (डीएमसी) इसके द्वारा क्रय किए जाने वाले धान के आधार पर प्रत्येक एसजीएज़ को चावल मिलों का आवंटन करती है। खाद्य एवं वितरण विभाग (एफएसडी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एसजीएज़ को प्रत्येक मिल मालिकों को उनकी मिलिंग क्षमता के अनुसार धान का आबंटन करना चाहिए ताकि चावल मिल मालिकों द्वारा प्रभावी तरीके से धान की मिलिंग की जा सके।

हालांकि केएमएस 2013-14 के दौरान कुरूक्षेत्र जिले में यह देखा गया कि राज्य के अधिकांश मामलों में एफएसडी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मिल मालिकों को धान नहीं आबंटित किया गया था। 142 मामलों में से 60 मामलों में एफएसडी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक धान का आबंटन किया गया था। शेष 82 मामलों में मानक से कम धान आबंटित किया गया था। मानकों का अनुपालन धान के आबंटन में एसजीएज़ द्वारा घटिया प्रबंधन का सूचक था।

सिविल आपूर्ति विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (जनवरी 2015) और बताया कि जांच की जाएगी।

मंत्रालय ने राज्य सरकार के विचारों का समर्थन किया (जून 2015)।

4.3 तेलंगाना में आबंटित चावल मिल से अन्य मिल में धान के स्थानांतरण के कारण अतिरिक्त व्यय की गैर-वसूली।

निजामाबाद जिला प्रशासन ने मूल रूप से आबंटित चावल मिलों द्वारा एफसीआई के सीएमआर के गैर/विलम्बित प्रेषण के कारण केएमएस 2011-12 से 2013-14 के दौरान मूल रूप से आबंटित चावल मिलों से अन्य चावल मिलों तक 18,079 मी.ट. धान (लागत: ₹ 22.79 करोड़) का स्थानांतरण किया। यह आबंटित धान का 52 *प्रतिशत* था। केएमएस 2012-13 के दौरान अधिकतम स्थानांतरण बताए गए। यह भी देखा गया कि यहाँ तक कि

दो चावल मिल[81] पुराने बकाएदार थे, फिर भी ₹ 6.34 करोड़[82] मूल्य का 5,026 मी.ट. धान इन दो मिलों पर उतारा गया (केएमएस 2011-12 से 2013-14)। इसमें से अधिक से अधिक ₹ 5.32 करोड़ मूल्य का 4,223 मी.ट. कस्टम मिलिंग के लिए अन्य चावल मिलों को स्थानांतरित किया जाना था।

चूककर्ता चावल मिलों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार धान का आबंटन किया गया था।

सिविल आपूर्ति के आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और बताया (दिसम्बर 2014) कि नामित चावल मिलों की विफलता के कारण धान को स्थानांतरित किया गया था और ऐसे स्थानान्तरण पर किए गए व्यय की वसूली मिल मालिकों से की जानी थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जून 2015) और कहा कि तेलंगाना, राज्य सरकार को मिल मालिको से धान को हटाने की लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिये याद दिलाया गया था। लेखापरीक्षा (जून 2015) में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित थी।

4.4 धान/चावल के परिवहन के लिए प्रयोग किए गए वाहन का संदिग्ध साधन

धान/सीएमआर का परिवहन ट्रांसपोर्टर और एसजीएज़ के बीच एक करार करके किया जाना था। करार करते समय ट्रांसपोर्टर को ट्रक का पंजीकरण संख्या भी विनिर्दिष्ट करना पड़ता है। हालांकि लेखापरीक्षा ने संदिग्ध परिवहन दावे दर्शाने वाली कई कमियां देखी जिसका विवरण निम्नलिखित है:

क) उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में यह देखा गया कि 14 क्विंटल से 1800 क्विंटल तक धान/सीएमआर की भारी मात्रा का परिवहन मोटरसाईकिल, ऑटोरिक्शा, जीप, टैक्सी, ठेला (जुगाड़), कार इत्यादि के माध्यम से किया गया था। इन संदिग्ध माध्यमों से परिवहन दर्शाए गए धान/सीएमआर की कुल मात्रा सभी में ₹ 6.58 करोड़ मूल्य का 5,744.09 मी.ट. था। विवरण ***अनुबंध-VI*** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि राज्य सरकार को विसंगति का पता लगाने के लिये और उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

ख) पंजाब में, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किए गए वाहनों के 3,319 पंजीकरण संख्याओं में से 3,231 (97.35 *प्रतिशत*) पंजीकरण संख्यायें राज्य के परिवहन प्राधिकरण के कम्प्यूटरीकृत

---

[81] *धनलक्ष्मी चावल मिल, येलरेड्डी एवं श्री राघवेंद्र इंडस्ट्रीज, कामरेड्डी*

[82] *कुल राशि के समानुपातिक आधार पर*

डाटा से मेल नहीं खाती थी। 88 पता लगाने योग्य वाहनों में से 15 वाहन (17.05 *प्रतिशत*) ट्रक के अलावा पाए गए अर्थात बस, कार, बाइक और टैंकर आदि। इसके अलावा नौ कार्यालयों में, एफसीआई द्वारा लेखापरीक्षा को 41,033 वाहनों की अपूर्ण पंजीकरण संख्याएं प्रदान की गई थी जो ₹ 13.86 करोड़ (कुल परिवहन लागत का 4.51 *प्रतिशत*) के व्यय वाले 4.36 लाख मी.ट. के परिवहन की वास्तविक का सत्यापन योग्य नहीं थे।

इसी प्रकार, 16 जिला कार्यालयों में से 15 (एसजीएज़ के चार चयनित जिलों के चार क्रय एजेंसियों)[83] में धान के परिवहन (कुल परिवहन लागत का 19.92 *प्रतिशत*) हेतु प्रयुक्त वाहनों की पंजीकरण संख्या से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान नही की गई जबकि स्पष्ट रूप से इसकी माँग की गई थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए पंजाब राज्य सरकार और एसजीएज़ ने बताया (फरवरी 2015) कि धान की अत्यधिक मात्रा और कम समय में धान उठाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से दबाव के कारण हो सकता है कि अन्य वाहनों का प्रयोग किया गया हो।

उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक मामले में किस प्रकार कई टन धान/चावल के परिवहन के लिए मोटरसाईकिल, कार आदि का प्रयोग किया गया था। चूँकि कई राज्यों में धान/चावल का परिवहन सामान्य माध्यम के अतिरिक्त दूसरे वाहन के माध्यमों से किया गया देखा गया था (जैसे- कार, मोटरसाइकिल, प्रेषण वाहन, लोडर आदि) यह ट्रांसपोर्टरों द्वारा गलत दावा किए जाने की संभावना प्रकट करता है। धान/चावल के परिवहन के प्रति गलत पूर्ण वाले दावों के भुगतान अथवा/सरकारी धन के किसी दुर्विनियोजन का पता लगाने के लिए इन मामलों की जांच की जानी चाहिए।

सिफारिश सं. 12	**मंत्रालय का उत्तर**
धान के परिवहन के सभी संदिग्ध मामलों की संबंधित राज्य सरकार द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए और भुगतान के लिए ऐसे दावों को पास करने से पूर्व एफसीआई को यथोचित श्रम करना चाहिए।	सिफारिश स्वीकृत है।

[83] *पीएसडब्ल्यूसी, पूनसुप, पनग्रेन और पीएएफसीएल*

4.5 मिल मालिकों का गलत चयन

4.5.1 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चावल मिलों के चयन हेतु सक्षम प्राधिकार का गठन न करने के कारण ₹ 39.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कस्टम मिलिंग पर आंध्र प्रदेश, सरकार के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, धान की कस्टम मिलिंग और निगम को चावल की सुपुर्दगी के लिए धान क्रय केंद्र (मंडी) से आठ किमी की दूरी के भीतर चावल मिलों के चयन हेतु एक जिला मिलिंग समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में आंध्र प्रदेश को तीन जिलों[84] और तेलंगाना के दो[85] जिलों में ऐसी समिति के गठन के समर्थन का कोई साक्ष्य नहीं था। इसके बावजूद, प्रत्येक चावल मिल की मिलिंग क्षमता को देखते हुए जिला मिल मालिक संगठन से मौसम से मौसम के बीच मिल-वार लक्ष्य प्रदान करने के लिए पूँछने की घटनाएँ देखी गई।

आंध्र प्रदेश में, चावल मिलों के चयन हेतु समितियों के गठन न करने के बावजूद 709 मिलों में से 558 मिलों का चयन किया गया जो धान क्रय केंद्रों से आठ किमी से अधिक दूर थे, जिसके कारण अतिरिक्त परिवहन पर ₹ 6.99 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

उत्तर में सिविल आपूर्ति के आयुक्त ने नामित समितियों के गठन करने पर सहमति जताई। इस मामले की प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2015)। दूसरी ओर, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि यद्यपि समिति का गठन नहीं किया गया था लेकिन धान खरीद केन्द्र को न्यूनतम लागत और मिल क्षमता आधार पर चावल मिल से जोड़ दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जिला मिल समिति के न होने पर, मिलो को जोडने के लिये संचालनात्मक दिशार्निदेशों का अनुपालन प्रमाण योग्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि केएमएस 2009-10 से 2013-14 के दौरान तेलंगाना में निजामाबाद और नलगोंडा जिलों में चयनित कुल 2,478 मिलों में से केवल 624 मिल (25 *प्रतिशत*) आठ किमी की दूरी के अंदर थे। इस प्रकार, धान के परिवहन पर ₹ 32.65 करोड़ अतिरिक्त व्यय करते हुए निजामाबाद और नलगोंडा जिलों में आठ किमी से दूर स्थित चावल मिलों को मिलिंग के लिए धान भेजा गया था।

---

[84] *पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा*

[85] *निजामाबाद और नलगोंडा*

4.5.2 केएमएस 2009-10 से केएमएस 2011-12 के दौरान चावल मिल मालिकों का गलत चयन

लेखापरीक्षा ने ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एफसीआई बिहार क्षेत्र में मिल मालिकों से संबंधित अभिलेखों में बहुत सी कमियाँ देखी। कुछ कमियाँ इस प्रकार थी:

i) 151 मामलों में मिल मालिकों के चयन से पूर्व मिलों के परिसरों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था;

ii) 81 मामलों में, पैन संख्या उपलब्ध नहीं थी जबकि 89 मामलों में टिन संख्या उपलब्ध नहीं थी;

iii) 85 मामलों में, मिल मालिकों से ज़मीन दस्तावेज नहीं लिए गए थे;

iv) 37 मामलों में ब्वायलरों के लिए जारी प्रमाण पत्र की वैधता बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी; और

v) 22 मामलों में, जिला कार्य-बल (डीटीएफ) द्वारा प्रदान किए गए मिल की चालू हालत का प्रमाणपत्र, वर्तमान बिजली बिल और वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान आयकर विवरणी नहीं था।

इस प्रकार, इन राज्यों में वास्तविक मिल मालिकों की चयन प्रक्रिया संदिग्ध थी। कमियों का विवरण ***अनुबंध-VII*** में दिया गया है।

मंत्रालय ने, लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते समय, उत्तर दिया (जून 2015) कि बिहार में, मिल मालिक कम मिलिंग प्रभारों के कारण एफसीआई धान मिल के खिलाफ थे। तथापि, मामले को संबंधित राज्य का उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही के बारे में पूछते हुए ध्यान में लाया गया।

4.5.3 ओड़िसा में सीएमआर न देने के बावजूद मिल मालिकों का चयन

लेखापरीक्षा ने देखा कि कालाहांडी जिले में दो मिल मालिक 31 दिसम्बर 2014 तक केएमएस 2010-11 से संबंधित 1,773.34 मी.ट. चावल देने में विफल रहे। हालांकि, महाप्रबंध (क्रय), ओड़िसा राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा जारी आदेश के आधार पर केएमएस 2013-14 के लिए कस्टम मिल मालिकों के रूप में उनका फिर से चयन कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, 2010-11 केएमएस के लिए मिल मालिकों द्वारा ₹ 2.98 करोड़ मूल्य का 1,773.34 मी.ट. चावल नहीं दिया गया, इसके साथ ही दिसम्बर 2014 तक इन

दो[86] मिल मालिकों से 2013-14 के लिए बकाया 193.84 मी.ट. चावल भी अभी नहीं वसूला जा सका। 2009-14 के दौरान निर्धारित समय-सीमा तक बकाया 4,770.02 मी.टन मिल किया हुआ चावल देने में विफलता के बावजूद दो[87] जिलों में बारह मिल मालिकों के चयन के समान मामले भी लेखापरीक्षा में देखे गए। ये उदाहरण इन जिलों में एसजीएज़ के संबंधित अधिकारियों द्वारा यथोचित श्रम की विफलता का सूचक है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि इसके लिये भारत सरकार पर कोई सब्सिडी का बोझ नहीं था लेकिन राज्य सरकार मिल मालिकों द्वारा सीएमआर के किसी भी कम वितरण को रोकने के लिये उचित रूप से संवेदनशील थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यद्यपि भारत सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ न हुआ हो लेकिन उपरोक्त निष्कर्ष मिल मालिकों द्वारा भारत सरकार के आदेशों के गैर-अनुपालन की ओर इशारा करते हैं और प्राथमिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

---

[86] शिवनंदा चावल मिल (2010-11 तथा 2013-14 के लिए क्रमश: 529.93 मी.टन और 100.03 मी.टन तथा ₹ 0.97 करोड़), श्री मनीकेवारी खाद्य उत्पाद (2010-11 और 2013-14 के लिए क्रमश: 1,243 मी.टन और 93.81 मी.टन - ₹ 2.01 करोड़)

[87] भद्रक और बारगढ़